Lecture - 93.

डिजरायली की गृह - नीति एवं सुधार

→ Mamta Rani
Guest Assistant Professor
Deptt. of History.
SNSRKS College, Saharsa

BA part - 1.
Paper - 2nd.

25 Friday 269-097 Week-39

निश्चय किया गया और इस उद्देश्य से एक बिल प्रस्तुत किया गया। पहले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया परन्तु फिर भी यह नियम पारित हो गया।

निष्कर्ष - डिजराइली ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अनेक सुधार किये थे किन्तु उन सुधारों के लिए डिजराइली को उस गौरव की प्राप्ति नहीं हुई जो किसी उदार प्रधानमंत्री को होती क्योंकि डिजराइली हृदय से अनुदार था और सुधारों का पक्षपाती था परन्तु हवा के विरुद्ध वह कह नहीं सकता था। किसी के हाथों में राजनीतिक अधिकार देने के विरोधि था।

26 Saturday 270-096 Week-39

वर्शिप रैगुलेशन्स ऐक्ट (The Public Worship Regulation Act) से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत किया, जनता ने उसका कड़ा विरोध किया परन्तु फिर भी यह बिल पारित हो गया।

(xiv) चैरिटी कमीशन –

स्कूलों की कार्य-प्रणाली की जाँच के हेतु इन्डाऊमेंट स्कूल कमीशन (Endowment Schools Commission) की स्थापना की गयी थी। डिजराइली के समय में इसे समाप्त करके एक चैरिटी कमीशन की नियुक्ति के सम्बन्ध में बिल प्रस्तुत किया गया। लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अन्त में स्कूल कमीशन्स का कार्य भी चैरिटी के सुपूर्द कर दिया गया।

(xv) स्काटलैंड के चर्च सम्बन्धी नियम –

अभी तक स्कॉटलैंड के चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार चर्च के अधिकारियों के हाथ में न होकर अन्य लोगों के हाथों में था। अब यह अधिकार उन व्यक्तियों के हाथों से लेकर चर्च की धार्मिक परिषद् (Religious Congregation) के हाथों में सौंपने का

SHRIRAM Life Insurance
YOUR PARTNER FOR PROSPERITY

17 Thursday 261-105 Week-38

साधारण जनता को खुली हवा अच्छी तरह मिल सके और उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सके।

(VIII) मर्चेन्ट शिपिंग ऐक्ट - 1876 ई. में इस कानुन के द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रेड को यह अधिकार दिया गया कि यह टूटे-फुटे और अयोग्य जहाजों को बन्दरगाह पर ही रोक दे और समुद्र मे जाने की अनुमति न दे। जहाजों पर अधिक भार न लादा जाय इस बात की भी व्यवस्था की गयी।

18 Friday 262-104 Week-38

(IX) अछूत बिमारियों का कानून, 1878 - इस कानून के द्वारा यह घोषणा की गयी कि विदेशों से आये उन सभी पशुओं को मार [redacted] जाय जिनके बारे मे यह प्रमान न प्राप्त हो कि वे अपने साथ अपने देश से कोई बिमारी नहीं लाये है।

(X) ट्रेड यूनियन ऐक्ट (मालिक और मजदूरों का कानून) 1876 - इस ऐक्ट के तहत मजदूरों

21 Monday
265-101 Week-39

(xii) विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐक्ट -

ऑक्सफोर्ड एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के कार्यों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक ऐक्ट पारित किया गया जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए फैलोशिप प्राप्त नहीं होगी। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि अपने खर्चे चलाने के लिए विश्वविद्यालय कुछ टैक्स

22 Tuesday
266-100 Week-39

भी लगा सकते हैं। इससे जो भी धन प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसन्धानों के हेतु प्रयोगशाला बनाने के लिए व्यय किया जाना चाहिए।

(xiii) पब्लिक वर्शिप रैगुलेशन्स ऐक्ट -

चर्च के छोटे-छोटे पदों पर जो अधिकारी कार्य करते थे वे शनैः-शनैः स्वेच्छाचारी बनते जा रहे थे। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आर्कबिशप ने एक्ट ऑफ यूनिफार्मिटी (Act of Uniformity) और पब्लिक

को यूनियन का सदस्य बनाने, शान्तिपूर्वक पिकेटिंग करने और अपनी दशा को सुधारने के लिए आन्दोलन करने आदि का अधिकार प्राप्त हुआ। यह ऐक्ट ट्रेड यूनियनों को चार्टर माना जाता है और इस ऐक्ट से मजदूरों की सामाजिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ।

(४) [redacted] फैक्टरीज तथा वर्क शाप ऐक्ट 1878-

। इस ऐक्ट में सभी कानूनों को मान्यता प्रदान की गयी साथ ही कारखाने इन्सपेक्टरों को केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में लाया गया। 10 साल से

कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नौकरी देने का निषेद कर दिया गया। इसके साथ ही एक सप्ताह में एक पुरुष 60 घण्टे तथा एक स्त्री 56.1/2 घण्टे काम कर सकते थे। और कपड़ा बुनने [redacted] के कारखाने में महिला मजदूरों से सप्ताह में केवल 56 घण्टे काम लेने तथा 10 साल की उम्र से अधिक मजदूर [redacted] के लिए भी काम का समय निश्चित कर दिया गया।

(2)

13 Sunday
257-109 Week-37

(च) लाइसेंसिंग ऐक्ट, 1874 - डिजराइली ने 1874 ई० में दूसरी बार प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया। 1874 ई० में उसने लाइसेंसिंग ऐक्ट पारित किया जिसके तहत जजों की मनमानी को समाप्त किया गया और शराबखानों की संख्या और खुलने का समय निश्चित कर दिया। नगरीय क्षेत्र की शराबखानों का बन्द होने का समय रात्रि के 11 बजे तथा ग्रमीण क्षेत्रों में बन्द होने का समय रात्रि 10 बजे रखा गया।

14 Monday
258-108 Week-38

(iii) कारीगर निवास एक्ट, 1875 -

इस एक्ट के तहत बड़े-बड़े शहरों और मकानों की तंगी को दूर किया गया। मजदूरों एवं गरीबों के हेतु हवादार मकानों की व्यवस्था की गयी। अस्वास्थ्यकार मकानों को गिरने का अधिकार स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं को दे दिया

(iv) जायदादों की बिक्री एवं ठेके सम्बन्ध में कानून 1875 -

1875 ई० के इस

SHRIRAM Life Insurance
YOUR PARTNER FOR PROSPERITY

(1) डिजराइली की गृह-नीति एवं सुधार

डिजराइली अनुदार दल का सदस्य था। रैम्जे म्योर का मत है कि उसकी गृह नीति निम्नलिखित उसूलो पर आधारित थी- (1) राजनीतिक उन्नति के बजाय सामाजिक सुधार और देश के गरीब लोगों एवं मजदूरों की दशा को सुधारना; (2) देश के प्राचीन संविधान को पूर्ववत कायम रखना और (3) ब्रिटिश साम्राज्य का विकास करना।

संक्षेप में उसका उद्देश्य प्रचीन राजतन्त्र को ऊँचा उठाना, राजकीय गौरव की वृद्धि करना और सामाजिक सुधार करना था।

* उन्होने श्रमिकों के लिए निम्नांकित कार्य किये

(1) पार्लियामेंट का सुधार बिल:-

1687 ई० के दूसरे पार्लियामेंटरी सुधार बिल के पारित किए जाने का श्रेय डिजराइली को ही दिया जाना चाहिए। इस एक्ट के तहत नगरों एवं कस्बों के निवासी एवं मजदूरों की मताधिकार की प्राप्ति हुई।

एक्ट के द्वारा अचल सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय एवं बेचे को सरल बना दिया गया और इस तरह जायदाद का तबादला एवं रजिस्ट्रेशन आसान कर दिया गया।

(v) नये सिंकिंग फण्ड की स्थापना -

-राष्ट्रीय ऋण को अदा करने के लिए डिजराइली के नये प्रकार के सिंकिंग फण्ड की स्थापना की

(vi) एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज एक्ट, 1878-

1878

इस एक्ट के तहत देहाती इलाकों में मकानों की समस्याओं का हल कर दिया गया, साथ ही किसानों को उस धन को सुरक्षित किया गया जिसे कि उन्होंने जमीन की उन्नति एवं विकास में खर्च किया था।

(vii) साझा जमीन पर बाड़ लगाने का एक्ट, 1876 -

1876 ई० में यह कानून पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य बाड़ लगाने की सुविधाएँ प्रदान करना ही था। साझी जमीन को खुले मैदान के रूप में रखने का आदेश देना था जिससे कि